सेवा में

कुलसचिव

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड–249199

पत्रांक : मेमो / रा0शि0नी0दिशा निर्देश / 2022 दिनांक 22.08.2022

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2022–23 हेतु माइनर इलेक्टि एवं कौशल विकास कोर्स सम्बन्धी दिशा निर्देशों विषयक।

महोदय,

कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 3486 / एस0डी0एस0यू0वी0 / प्रशासन / 2022 दिनांक 30.07.2022 के द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किये जाने हेतु विषय संयोजन एवं अन्य व्यवसायिक / कौशल विकास कोर्स निर्धारण / संयोजन के साथ–साथ प्रवेश नियम निर्धारण हेतु निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया था :–

7. डॉ0 डी0 सी0 गोस्वामी संकायाध्यक्ष कला, विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश (संयोजक)
8. डॉ0 सुमिता श्रीवास्तव, भौतिक विज्ञान विभाग, विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश (सह–संयोजक)
9. डॉ0 आर0एम0 पटेल संकायाध्यक्ष वाणिज्य, विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश (सदस्य)
10. डॉ0 वी0डी0 पाण्डेय वनस्पति विज्ञान विभाग विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश (सदस्य)
11. डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार वाणिज्य विभाग विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश (सदस्य)
12. डॉ0 डी0के0पी0 चौधरी विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश (सदस्य सचिव)

दिनांक 03.08.2022 को एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन के दौरान विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नक–उक्तवत्

22.8.22

प्रो0 (डा0) डी0सी0 गोस्वामी

संयोजक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारण समिति

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल

National Education Policy 2020

Sri Dev Suman Uttarakhand University

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना को वर्तमान सत्र 2022-23 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश

विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से षष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है।

1.तीसरे मुख्य (Major) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

2,विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य इलेक्टिव विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

3.विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परिसर /महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार मुख्य इलेक्टिव विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला , विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के विषयों को तीन समूहों (Group A, Group B तथा Group C) में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रारंभिक रूप से यह नियम सत्र 2022-23 हेतु प्रभावी होंगे। आगामी सत्रों से इन नियमों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। नियम परिवर्तन की दिशा में पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

Faculty of Arts

List of Major Subjects

- Hindi
- English
- Sanskrit
- Anthropology
- Defence and Strategic Studies
- Drawing and Painting
- Economics
- Education
- Geography
- History
- Home science
- Music
- Philosophy
- Political Science
- Psychology
- Sociology

पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन

Group A (Humanities)	Group B (Practical Subjects)	Group C (Social Sciences)
• Hindi • English • Sanskrit	• Anthropology • Defence and Strategic Studies • Drawing and Painting • Education • Geography • Home Science • Music • Psychology	• Economics • History • Philosophy • Political Science • Sociology

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम दो और अधिकतम तीन मुख्य / मेजर (02 कोर व एक 01 इलेक्टिव) विषयों का चयन कर सकता है। सामान्य रूप से प्रथम सेमेस्टर में चयनित विषय का अध्ययन विद्यार्थी को द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में भी करना होगा।

मुख्य विषयों के चयन के पश्चात मेजर इलेक्टिव अन्य समूह या अन्य संकाय से लिया जाएगा। विद्यार्थी किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन मुख्य विषय के रूप में कर सकता है। किसी एक समूह से तीन मुख्य /मेजर विषयों का चयन नहीं किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थी दो से अधिक भाषा/साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा एवं दो से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा। हालांकि प्रत्येक समूह से एक मुख्य विषय का चयन किया जा सकता है।

Faculty of Science

List of Major Subjects

- **Physics**
- **Chemistry**
- **Mathematics**
- **Botany**
- **Zoology**
- **Statistics**
- **Geology**
- **Biotechnology**
- **Computer Science**

पाठ्यक्रमों हेतु विषय संयोजन

Group A	Group B	Group C
Physics Mathematics	Botany Zoology Biotechnology	Chemistry Geology Statistics Computer Science

समान प्रक्रिया विज्ञान संकाय के विषयों के संदर्भ में भी अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विज्ञान संकाय के विषयों को तीन समूहों में विभाजित करते हुए विज्ञान संकाय में दो कोर मुख्य /मेजर विषय का चयन Group A, Group B तथा Group C से किया जा सकता है। 02 मुख्य विषय का चयन करने के पश्चात् मुख्य इलेक्टिव का चयन अन्य संकाय या अन्य समूह से किया जाएगा। विद्यार्थी किसी एक समूह से अधिकतम दो विषयों का ही चयन मुख्य विषय के रूप में कर सकता है। किसी एक समूह से तीन मुख्य /मेजर विषयों का चयन नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रत्येक समूह से एक मुख्य विषय का चयन किया जा सकता है।

Faculty of Commerce

वाणिज्य संकाय के विषयों को तीन समूह में विभाजित किया गया है :

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting (Major Core own faculty)	Business Regulatory Frame work (Major Core own faculty)	Business Organization & Management
		Business Communication (Major Elective per own faculty/other faculty)

वाणिज्य संकाय में प्रवेशरत विद्यार्थी समूह A, B या C को मुख्य कोर की तरह चयनित करेगा। विद्यार्थी दो मुख्य कोर वाणिज्य संकाय से लेने के पश्चात् तीसरे मुख्य इलेक्टिव का चयन वाणिज्य संकाय के समूह C से अथवा अन्य संकाय से कर सकता है।

गौण चयनित अर्थात माइनर इलेक्टिव विषय
(Minor Elective Papers)

सामान्य निर्देश:

i.माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

ii.माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre- requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

iii.बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय के रूप में (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।

iv.तीसरे मुख्य (मेजर) इलेक्टिव विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।

माइनर इलेक्टिव विषय किसी संस्था में एक ही संकाय की स्थिति में संस्थान के स्तर पर अन्य विभाग से लिया जा सकता है। माइनर इलेक्टिव कोर्स ऑनलाइन माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।

v. विद्यार्थी को प्रथम वर्ष (किसी एक सेमेस्टर में) एवं द्वितीय वर्ष (किसी एक सेमेस्टर में) अर्थात एक माइनर इलेक्टिव विषय प्रति वर्ष लेना अनिवार्य होगा।विश्वविद्यालय परिसर/ महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव विषय को आंबांटित कर सकते है। तृतीय वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

vi. माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरुप किया जायेगा।

प्रथम वर्ष हेतु अध्यापन समिति (**Board of Studies**) द्वारा स्वीकृत गौण चयनित अर्थात माइनर इलेक्टिव विषय की सूची विषयवार निम्न है :

Sl No	Subject	Minor Elective Paper
01	Hindi	हिन्दी भाषा व व्याकरण
02	English	Creative Writing
03	Sanskrit	संस्कृत भाषा अध्ययन
04	Anthropology	General Anthropology
05	Defence and Strategic Studies	Military History of Uttarakhand
06	Drawing and Painting	Creative Process in Drawing
07	Education	Education for Sustainable Development
08	Geography	Applied Geomorphology
09	Home Science	Human Development
10	Music	Critical study of Ragas and Taals
11	Psychology	Psychology for Living
12	Economics	Fundamentals of Economics
13	History	Indian Society and Culture through the Ages
14	Philosophy	Jainism
15	Political Science	Awareness with Civic Rights
16	Sociology	Industrial Sociology
17	Physics	Geometrical Optics
18	Chemistry	Basics of Chemistry
19	Mathematics	Matrices
20	Statistics	Statistical Methods & Probability Theory
21	Botany	Introduction to Eco systems
22	Zoology	Environmental Science and Basic Concepts of Ecology
23	Geology	Minor elective : Geology
24	Biotechnology	Evolution and Introduction to Developmental Biology
25	Computer science	Computer Fundamentals & Problem Solving
26	Commerce	Inventory Management

कौशल विकास पाठ्यक्रम
(Vocational/ Skill Development Courses)

कौशल विकास/ रोजगार परक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय परिसर/ महाविद्यालय स्तर पर उत्तराखंड शासन के उच्च शिक्षा विभाग कि शासनादेश संख्या 1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक-एक कौशल विकास कोर्स 12(3×4) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

कौशल विकास/ रोजगार परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में परिसर / महाविद्यालय सबंधित जिले के पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई. अथवा अन्य समकक्ष राजकीय प्रशिक्षण संस्थान से भी अनुबंध हस्ताक्षरित कर सकते हैं । हस्ताक्षरित अनुबंध की एक प्रति अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी। परिसर/ महाविद्यालय से यह भी अपेक्षा है कि अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल विकास का क्लस्टर विकसित करें तथा छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के परिसर/ महाविद्यालय से कौशल विकास के संबंध में अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करें जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि स्पष्टता के साथ अंकित हो।

कौशल विकास/ रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान अलग से प्रस्तावित / अनुमोदित नहीं है। अतः इस संबंध में आवश्यक संसाधन के आकलन के उपरांत कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण का शुल्क निर्धारण अपने स्तर पर No profit,no loss के आधार पर कर सकते हैं।

परिसर / महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता होगी तथापि प्रथम वर्ष हेतु अध्यापन समिति **(Board of Studies)** द्वारा स्वीकृत संदर्भ सूची निम्नवत दी जा रही है :

Sl No	Subject	Vocational /Skill Enhancement Courses
01	Hindi	• गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति • प्रयोजनमूलक हिन्दी
02	English	• Communicative English Grammar • English Listening and Speaking Skills
03	Sanskrit	• नित्यनैमित्तिक अनुष्ठान • ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांत
04	Anthropology	• Anthropology in Disaster Management • Communication and Visual Anthropology
05	Education	• Mental Health and Hygiene • Life Skill Education
06	Geography	1. Field Survey 2. Elements of Map Reading
07	Home Science	• Food Processing and Preservation • Women Empowerment
08	Military Science and Defence Studies	1. Disaster Management 2. Journalism
09	Music	1. Practical Aspects of Indian Music
10	Psychology	• Managing Stress • Effective Decision Making
11	Economics	• Data Analysis
12	History	• Introduction of Archeology
13	Philosophy	• Yoga as Applied Philosophy • Ethical Decision Making
14	Political Science	• Issues of rural government • Study of Voting Pattern and Voting Behaviour
15	Sociology	• Gender Sensitization
16	Physics	• Basic Instrumentation Skills • Electronics Instrumentation Skills

17	Chemistry	• Cosmetic and Perfume Chemistry • Basic Analytical Chemistry • Organic Spectroscopy
18	Mathematics	• Differential Calculus • Vector Analysis
19	Botany	1. Bio fertilizers 2. Herbal Technology
20	Zoology	1. Public Health and Hygiene 2. Sericulture
21	Geology	1. Understanding Earth Processes 2. Gemology
22	Commerce	• E- Commerce • Entrepreneurship

22.8.22

(प्रो0 डी0सी0 गोस्वामी)

संयोजक

राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय संयोजन एवं नियम निर्धारण समिति

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय , बादशाहीथौल

परीक्षा प्रणाली (Examination Pattern)

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय परिसर, ऋषिकेश में दिनांक 10 अगस्त 2022 को कला संकाय की अध्यापन समिति (Board of Studies) में लिए गए निर्णय के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के निम्न विषयों –

हिन्दी

अंग्रेजी

संस्कृत,

इतिहास

गृह विज्ञान

भूगोल

राजनीति विज्ञान

समाज शास्त्र

अर्थशास्त्र

शिक्षा शास्त्र

शारीरिक शिक्षा

संगीत

चित्रकला

मानव शास्त्र

मनोविज्ञान

दर्शन शास्त्र तथा

सैन्य विज्ञान विषयों के स्नातक कक्षाओं के सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 हेतु पारित निर्णय निम्नवत हैं :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रवर्तित पाठ्यक्रमों के प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र तीन घंटों का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 75 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के दो खंड होंगे – खंड अ और खंड ब। खंड अ में 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमे से परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। खंड अ का प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। खंड ब में 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के होंगें जिनमें से परीक्षार्थी को 3 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का होगा।

22.8.22

(प्रो० डी०सी० गोस्वामी)

अध्यक्ष , अध्यापन समिति (Board of Studies)

कला संकाय, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय , बादशाहीथौल